कार्यालय – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म0प्र0)

:: परिपत्र ::

क्रमांक : ..../दो–12–01/2004(फा.65)   उज्जैन, दिनांक ..../अगस्त/2023

प्रायः यह देखने में एवं मेरे संज्ञान में यह तथ्य आया है कि प्रशासकीय कार्य व्यवस्था अंतर्गत एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के पालन हेतु न्यायिक अधिकारीगण की विभिन्न समितियॉ गठित की गई है, किन्तु उक्त समितियों के अध्यक्ष/सदस्य न्यायिक अधिकारीगण द्वारा समिति की मासिक बैठक आयोजित नहीं की जा रही है एवं न ही मासिक प्रगति प्रतिवेदन से मुझे अवगत करवाया जा रहा है।

अतः स्थापना पर गठित समस्त समिति के संबंधित अध्यक्ष/सदस्य न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि इस परिपत्र के संलग्न सूची में वर्णित दिनांकों को बैठक आयोजित करेंगे एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। यदि किसी कारणवश बैठक दिनांक को समिति के अध्यक्ष/सदस्य न्यायिक अधिकारीगण के अवकाश पर होने की स्थिति में अथवा माननीय उच्च न्यायालय/मध्यप्रदेश शासन से अवकाश घोषित होने की स्थिति में या अन्य किसी कारण से मुख्यालय पर उपलब्ध नहीं हो तो उसी माह की अन्य दिनांक को समिति के अध्यक्ष/सदस्य समिति की बैठक आयोजित करेंगे एवं बैठक का कार्य विवरण कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

संलग्न–सूची

(आर0के0वाणी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)